ALL-IN-ONE PAPERATHON

पारिवारिक विधि

(FAMILY LAWS)

हिन्दू विधि

&

मुस्लिम विधि

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

Sample Preview

हिंदी संस्करण

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Sample Preview

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Edition : 2026

www.LinkingLaws.com

INDEX		
Sr. No.	**Subjects**	**Page No.**
Part – I **Prelims MCQs**		
1.	हिन्दू विधि (Hindu Law)	1-30
2.	मुस्लिम विधि (Muslim Law)	31-54
Part – II **Mains Questions Solved**		
3.	हिन्दू विधि (Hindu Law)	55-194
4.	मुस्लिम विधि (Muslim Law)	195-271
Part – III **Interview Questions Solved**		
5.	हिन्दू विधि (Hindu Law)	272-274
6.	मुस्लिम विधि (Muslim Law)	275-276
7.	Scan QR for Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)	277

Sample Preview

Part - I

Prelims MCQs

Sample Preview

हिन्दू विधि
Nature of Hindu Law

1. प्राचीन समय में, विवाह संस्था के बीज निहित है :
(a) बच्चे के मातृत्व को जानने की मनुष्य की जिज्ञासा
(b) बच्चे के पितृत्व को जानने की मनुष्य की जिज्ञासा
(c) दोनों (a) और (b)
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

[UK PCS(J) 2023]

Ans [b]
स्पष्टीकरण- प्राचीन भारत में, विवाह जीवन के दो अलग-अलग हिस्सों, स्त्री और पुरुष को एक साथ लाने का एक माध्यम था। मानव विकास के किसी चरण में, मानव की संपत्ति को जानने की आवश्यकता उत्पन्न हुई और पुरुषों को अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। पितृत्व को परिभाषित करना संभव है यदि यौन संबंधों को पुरुषों और महिलाओं के अनन्य संघ में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बच्चों के पितृत्व को जानने की मनुष्य की खोज में विवाह संस्था का बीज निहित है।

2. भारतीय संविधान के अन्तर्गत पारिवारिक विधि से सम्बन्धित सभी विषय हैं
(a) संघ सूची में
(b) राज्य सूची में
(c) समवर्ती सूची में
(d) उपरोक्त में से किसी में नहीं

[UK PCS(J) 2016]

Ans. [c]
लिंकिंग प्रावधान- सूची III अनुसूची VII भारत का संविधान।
स्पष्टीकरण- पारिवारिक विधि से संबंधित सभी पहलू संविधान की समवर्ती सूची अर्थात 7वीं अनुसूची की तृतीय सूची-प्रविष्टि संख्या 5 में है और संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास उनके संबंध में विधि बनाने की शक्ति है।

3. हिन्दू विधि की 'दायभाग' शाखा, मूलभूत रूप से मिताक्षरा' शाखा से किस/किन मामले में भिन्न है ?
(a) संरक्षकता के
(b) उत्तराधिकार एवम् विभाजन के
(c) स्त्रीधन के
(d) विवाह के

[UK PCS(J) 2016]

Ans. [b]
स्पष्टीकरण- उत्तराधिकार के आधार पर मिताक्षरा शाखा में वंशानुक्रम रक्त सम्बन्ध के नियम द्वारा शासित होता है, जबकि दयाभाग शाखा के अन्तर्गत वंशानुक्रम आध्यात्मिक प्रभावोत्पादकता के नियम से शासित होता है।

4. शारदा अधिनियम किसको निवारित करने हेतु बनाया गया था ?
(a) बाल विवाह
(b) सती
(c) दहेज
(c) द्विविवाह

[UK PCS(J) 2023]

Ans [a]
स्पष्टीकरण- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 को 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। इसके प्रायोजक हरबिलास सारदा के नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे देश से बाल विवाह की बुराई को मिटाने के सुनियोजित मिशन के साथ पारित किया गया था। विवाह की कानूनी उम्र वर्तमान में लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 21 वर्ष है, जैसा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 द्वारा निर्धारित किया गया है।

5. निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध कृति 'मिताक्षरा' के लेखक हैं ?
(a) अपरार्क
(b) भोज
(c) विज्ञानेश्वर
(d) पारासर

[UK PCS(J) 2018]

Ans. [c]
स्पष्टीकरण - मिताक्षरा याज्ञवल्किय स्मृति पर विज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध टिका है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी कानून के संबंध में भारत में दो विचारधाराएं प्रसिद्ध है
1. दायभाग, जो बंगाल तथा असम में प्रचलित है।
2. मिताक्षरा, जो शेष भारत में प्रचलित है। मिताक्षरा शाखा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से अपने परिवार की संयुक्त संपत्ति में अधिकार है।

6. "जिमूतवाहन' अपनी इस कृति के लिए जाने जाते हैं।
(a) निर्णय सिंधु
(b) दायभाग
(c) दयातत्व
(d) दत्तक मीमांसा

[UK PCS(J) 2018]

Ans. [b]
स्पष्टीकरण - जीमूतवाहन द्वारा दायभाग एक प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है, जो मुख्य रूप से विरासत प्रक्रिया पर केंद्रित है।

7. 'दायभाग' के लेखक (प्रवर्तक) थे :
(a) जीमूतवाहन
(b) विज्ञानेश्वर
(c) वशिष्ठ
(d) नारद

[BJS 2020, UK PCS(J) 2022]

Ans. [a]
स्पष्टीकरण- दायभाग की रचना जीमूतवाहन ने की है। यह सभी संहिताओं के डाइजेस्ट का हिस्सा था। यह "धर्मरत्न" नामक एक बड़े कार्य का हिस्सा था और विरासत और उत्तराधिकार के कानूनों पर मूल्यवान कार्य है।

8. 'मिताक्षरा' एक भाष्य (टिप्पणी) है :
(a) मनु-स्मृति पर
(b) पराशर स्मृति पर
(c) नारद स्मृति पर
(d) याज्ञवल्क्य स्मृति पर

[UK PCS(J) 2022, BJS 2018]

Ans. [d]
स्पष्टीकरण- 'मिताक्षरा' उत्तराधिकार के नियमों के बारे में बात करती है, अर्थात पुत्रों का उनकी पैतृक संपत्ति पर जन्म का अधिकार। याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'मिताक्षरा' को "जन्म से उत्तराधिकार" के सिद्धांत के लिए जाना जाता है।

9. निम्नलिखित में से कौन सा 'अव्यवहारिक ऋण' की परिधि में नहीं आता है?
(A) एक अनैतिक ऋण
(B) एक अवैध ऋण
(C) अपकृत्यपूर्ण कार्य से उत्पन्न ऋण
(D) जमानतीदार ऋण

[BJS 2009]

Ans. [D]
स्पष्टीकरण– जमानतीदार ऋण 'अव्यवहारिक ऋण' की परिधि में नहीं आता है ।

10. 'मठ' के महंत की विधिक स्थिति है-

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

(A) एक न्यासी
(B) एकल निगम
(C) मठ का स्वामी
(D) 'मठ' के प्रबंधक

[BJS 2009]

Ans. [D]
स्पष्टीकरण– धारा 11- महंत श्री श्रीनिवास रामानजू दास बनाम सूरजनारायण दास (1967 SC) के वाद में कहा गया कि किसी मठ का महंत उसका प्रबंधक होता है।

11. हिन्दू विधि है-
(a) सिविल विधि
(b) वैयक्तिक विधि
(c) संवैधानिक विधि
(d) दाण्डिक विधि

[BJS 2016]

Ans. [b]
स्पष्टीकरण- आधुनिक हिंदू कानूनी प्रणाली सख्ती से व्यक्तिगत विधि पर लागू होती है, जिसमें विवाह, विरासत और गोद लेने के मुद्दे शामिल हैं, जबकि भारत की धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था आपराधिक विधि और दीवानी विधि के मुद्दों पर लागू होती है।

12. संयुक्त हिन्दू परिवार का एक अवर (कनिष्ठ/ Junior) सदस्य उस परिवार का 'कर्ता' हो सकता है-
(a) जब वह सक्षम और बुद्धिमान है
(b) परिवार के सहदायिकों की सहमति के बिना, यदि वह सक्षम व चतुर है
(c) सिर्फ परिवार के अन्य सहदायिकों की सहमति से
(d) सिर्फ माता के आदेश से

[BJS 2016]

Ans. [c]
स्पष्टीकरण- वरिष्ठतम पुरुष सदस्य की उपस्थिति में, एक कनिष्ठ कर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन यदि सभी सहदायिक सहमत हों, तो एक कनिष्ठ भी कर्ता बन सकता है। कर्ता सभी सहदायिकों की सहमति या करार से अपने पद के लिए बाध्य है। आमतौर पर महिला सदस्य कर्ता नहीं बन सकती है लेकिन असाधारण परिस्थितियों में महिला भी कर्ता के रूप में कार्य कर सकती है।

13. एक हिन्दू मूर्ति की वैधानिक स्थिति है-
(a) हिन्दू वयस्क पुरुष की
(b) हिन्दू वयस्क महिला की
(c) महन्त की
(d) हिन्दू अवयस्क की

[BJS 2020]

Ans.[d]
स्पष्टीकरण- 1887 में, बंबई उच्च न्यायालय ने डाकोर मंदिर मामले में कहा था: "हिंदू मूर्ति एक न्यायिक विषय है और जिस पवित्र विचार को वह मूर्त रूप देती है उसे एक विधिक व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है।" विद्या वरुथी तीर्थ बनाम बालूसामी अय्यर 1921 के आदेश में इसे फिर से लागू किया गया, जहां अदालत ने कहा, "हिंदू विधि के तहत, एक देवता की छवि एक 'न्यायिक इकाई' है, जो दान प्राप्त करने और संपत्ति रखने की क्षमता के साथ निहित है"।

14. निम्न में से किस रिर्पोट में विधि आयोग ने विवाह विच्छेद के अतिरिक्त स्वीकार्य आधार के रूप में, "विद्यटन सिद्धान्त" (ब्रेकडाउन प्रिंसिपल) की अनुशंशा की थी
(a) 70 वीं रिर्पोट में
(b) 72 वीं रिर्पोट में
(c) 71 वीं रिर्पोट में
(d) उपरोक्त में से किसी में नहीं

[UK PCS(J) 2014]

Ans. [c]
स्पष्टीकरण - विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट में ब्रेक डाउन थ्योरी पर विधि आयोग द्वारा अनुसंशा की गयी।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 13(1ए) ब्रेक डाउन थ्योरी पर आधारित।

15. हिन्दू विधि के अन्तर्गत विवाह है –
(a) संस्कार
(b) संविदा
(c) Both (a) and (b)
(d) Neither (a) nor (b)

[BJS 2013]

Ans. [a]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 7 L/w 5, 6, 8 HMA।
स्पष्टीकरण– हिंदू विवाह "एक धार्मिक संस्कार है जिसमें एक पुरुष और एक महिला धर्म, प्रजनन और यौन सुख की शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकता के लिए एक स्थायी संबंध में बंधते हैं।"

16. हिंदू विवाह से संबंधित विधि को संहिताबद्ध किया गया है-
(a) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
(b) हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956
(c) बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929
(d) उपरोक्त सभी

[BJS 2013]

Ans. [a]
स्पष्टीकरण– हिंदू विवाह से संबंधित विधि को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत संहिताबद्ध किया गया है। यह 18 मई, 1955 को लागू हुआ था। इसमें धारा 1-30 शामिल है।

Sources of Hindu Law

17. निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत नहीं है?
(A) साम्य, न्याय और सद्विवेक
(B) पूर्व निर्णय
(C) विधायन
(D) रूढ़ियाँ

[BJS 2009]

Ans. [D]
स्पष्टीकरण– हिन्दू विधि में दो प्रकार के स्रोत हैं- प्राचीन और आधुनिक।
1) **प्राचीन स्रोत हैं-** वेद/श्रुति, स्मृतियाँ, सार-संग्रह और रूढ़ियाँ ।
2) **आधुनिक स्रोत हैं-** साम्य और सद्विवेक, न्यायिक पूर्ण-निर्णय और विधायन ।

18. हिन्दू विधि का/के प्राचीन स्रोत है/हैं-
(a) श्रुति
(b) स्मृति
(c) सार-संग्रह, टीकाएँ और रूढ़ियाँ
(d) उपर्युक्त सभी

[BJS 2016]

Ans. [d]
स्पष्टीकरण- श्रुति, स्मृति और रूढ़ि हिंदू विधि के तीन प्राथमिक प्राचीन स्रोत हैं। इन तीन ग्रंथों के अलावा टीकाएं और सार-संग्रह, हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत माने जाते हैं।

Sample Preview

Part - II

Mains Questions Solved

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

हिन्दू विधि
Previous Years' Questions of Mains Examinations

Sources of Hindu Law

1. हिन्दू विधि के स्रोत के रूप में प्रथा के महत्व की चर्चा कीजिए। एक वैध प्रथा के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए।क्या एक सामान्य नियम के अल्पीकरण में एक प्रथा को अदालत द्वारा उदारतापूर्वक समझा जा सकता है?
Discuss the importance of custom as a source of Hindu law. Point out the essentials of a valid custom. Can a custom in derogation of a general rule be construed liberally by the court?

[BJS 2017]

Or

एक वैध प्रथा के आवश्यक तत्व क्या हैं?
What are the essentials of a valid custom?

[PJS 1995]

Or

एक मान्य रीति-रिवाज की आवश्यकताओं पर चर्चा करें।
Discuss the requirements of a valid custom.

[BJS 1986]

Ans. I. हिन्दू विधि में प्रथा का महत्व

प्रथा (आचार/रूढ़ि) हिन्दू विधि का अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में हिन्दू विधि मुख्यतः शास्त्रों, स्मृतियों तथा स्थानीय प्रथाओं पर आधारित थी। न्यायालयों ने बार-बार यह माना है कि यदि कोई प्रथा विधिपूर्वक सिद्ध हो जाए तो वह सामान्य शास्त्रीय नियमों पर भी प्रधानता रखती है।

1. **ऐतिहासिक आधार**
   प्रिवी काउंसिल ने **Collector of Madura v. Moottoo Ramalinga Sethupathi** में कहा कि यदि कोई प्रचलित प्रथा स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाए तो वह लिखित शास्त्रीय विधि पर भी प्रभावी होगी।
2. **वैधानिक मान्यता**
   आधुनिक संहिताबद्ध हिन्दू विधि भी प्रथा को मान्यता देती है।
   - धारा 3(क) – **Hindu Marriage Act, 1955** में "प्रथा और उपयोग" की परिभाषा दी गई है।
   - इसी प्रकार **Hindu Succession Act, 1956** आदि अधिनियमों में भी प्रथा को मान्यता प्राप्त है।
3. **सामान्य विधि पर प्रधानता**
   एक वैध प्रथा:
   - सामान्य हिन्दू विधि को परिवर्तित कर सकती है।
   - विशेष समुदाय, जाति, परिवार या क्षेत्र में लागू हो सकती है।
4. **सामाजिक लचीलापन**
   प्रथा समाज की वास्तविक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती है, इसलिए यह विधि को जीवंत एवं अनुकूलनीय बनाती है।
5. **न्यायिक दृष्टिकोण**
   सर्वोच्च न्यायालय ने **Thakur Gokal Chand v. Parvin Kumari** में कहा कि प्रथा को प्राचीन, निश्चित एवं युक्तिसंगत होना आवश्यक है।

II. वैध प्रथा के आवश्यक तत्व

किसी प्रथा को विधिक मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है:

1. **प्राचीन (Ancient)**
   प्रथा का अस्तित्व दीर्घकाल से होना चाहिए।
2. **निरंतर एवं अविच्छिन्न (Continuous)**
   उसका पालन बिना महत्वपूर्ण व्यवधान के होता रहा हो।
3. **निश्चित एवं स्पष्ट (Certain)**
   प्रथा अस्पष्ट या संदिग्ध नहीं होनी चाहिए।
4. **युक्तिसंगत (Reasonable)**
   वह अन्यायपूर्ण, अमानवीय या अनैतिक नहीं होनी चाहिए।
5. **कानून या लोक नीति के विरुद्ध न हो**
   यदि कोई प्रथा स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के विपरीत हो (और अधिनियम उसे सुरक्षित न करता हो), तो वह अमान्य होगी।
6. **अनिवार्य पालन (Compulsory Observance)**
   उसका पालन अधिकार के रूप में किया जाता हो, न कि केवल सुविधा के रूप में।
7. **सख्त प्रमाण (Strict Proof)**
   जो पक्ष प्रथा का दावा करता है, प्रमाण का भार उसी पर होता है।

उपर्युक्त निर्णय **Thakur Gokal Chand v. Parvin Kumari** में स्पष्ट किया गया कि प्रथा को कठोर प्रमाण से सिद्ध करना आवश्यक है।

III. क्या सामान्य नियम के प्रतिकूल प्रथा का उदारतापूर्वक (Liberal) व्याख्या की जा सकती है?

नहीं। यदि कोई प्रथा सामान्य हिन्दू विधि के नियम के प्रतिकूल (derogation) हो, तो न्यायालय उसकी **संकीर्ण (strict)** व्याख्या करते हैं।

कारण:

1. **यह सामान्य नियम का अपवाद है**
   अतः अपवाद को सख्ती से सिद्ध किया जाना चाहिए।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

2. **कठोर प्रमाण की आवश्यकता**
   न्यायालय ऐसी प्रथा को अनुमान से स्वीकार नहीं करते।
3. **संकीर्ण व्याख्या का सिद्धांत**
   Thakur Gokal Chand v. Parvin Kumari में कहा गया कि सामान्य विधि के विपरीत प्रथा को कठोरता से सिद्ध एवं व्याख्यायित किया जाना चाहिए।

अतः सामान्य नियम के विरुद्ध प्रथा की उदार व्याख्या नहीं की जा सकती। यदि कोई संदेह हो, तो उसका लाभ उस पक्ष को नहीं दिया जाएगा जो प्रथा का दावा कर रहा है।
प्रथा हिन्दू विधि का एक महत्वपूर्ण एवं जीवंत स्रोत है, जिसने समय-समय पर विधि को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। परन्तु उसकी वैधता के लिए प्राचीनता, निरंतरता, निश्चितता और युक्तिसंगतता आवश्यक है। सामान्य नियम के प्रतिकूल प्रथा की न्यायालय द्वारा संकीर्ण एवं कठोर व्याख्या की जाती है।
यदि आवश्यक हो तो इसे 20 अंकों के उत्तर के रूप में और अधिक केस-लॉ व आलोचनात्मक विश्लेषण सहित विस्तृत किया जा सकता है।

2. भारत में प्रथागत कानून के महत्व की जांच करें और किस तरह से यह प्रथा के अपने वर्तमान चरण में मान्य और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है?
Examine the significance of customary law in India and the way it has traversed into its present stage of custom being recognised as valid and legal?

[HJS 2019]

Ans. भारत में प्रथागत विधि (Customary Law) का महत्व अत्यंत गहरा और ऐतिहासिक है। भारतीय समाज की संरचना बहु-धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक और विविधतापूर्ण रही है, इसलिए विधि का विकास केवल शास्त्रों या विधान से नहीं, बल्कि सामाजिक आचरण और प्रचलित प्रथाओं से भी हुआ। प्राचीन हिन्दू विधि में "आचार" को धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। यदि शास्त्र और व्यवहार में अंतर होता था, तो कई परिस्थितियों में सिद्ध एवं प्रचलित प्रथा को प्राथमिकता दी जाती थी। इस प्रकार प्रथा समाज की वास्तविक जीवन-शैली का प्रतिबिंब थी।
मध्यकाल में भी विभिन्न जातियों, क्षेत्रों और समुदायों की प्रथाएँ निजी विधि के मामलों—जैसे विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक—में लागू रहती थीं। मुस्लिम शासनकाल में भी हिन्दुओं के निजी मामलों में उनकी प्रथाओं को सामान्यतः मान्यता दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रथा सामाजिक स्वीकृति के आधार पर विधिक प्रभाव रखती थी।
ब्रिटिश शासनकाल में प्रथा को विधिक रूप से व्यवस्थित मान्यता मिली। अंग्रेजी न्यायालयों ने पाया कि शास्त्रीय ग्रंथों की व्याख्या हमेशा वास्तविक सामाजिक व्यवहार से मेल नहीं खाती। इसलिए उन्होंने सिद्ध प्रथाओं को लागू करना प्रारंभ किया। प्रिवी काउंसिल ने **Collector of Madura v. Moottoo Ramalinga Sethupathi** में यह स्वीकार किया कि यदि कोई प्रथा स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाए, तो वह शास्त्रीय विधि पर भी प्रभावी हो सकती है। इसी काल में न्यायालयों ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि प्रथा को प्राचीन, निश्चित, निरंतर और युक्तिसंगत होना चाहिए।
स्वतंत्रता के बाद हिन्दू विधि का संहिताकरण हुआ, परंतु प्रथा को समाप्त नहीं किया गया। बल्कि उसे विधिक रूप से परिभाषित और नियंत्रित रूप में स्वीकार किया गया। धारा 3(क) के अंतर्गत **Hindu Marriage Act, 1955** में "प्रथा और उपयोग" को मान्यता दी गई है, बशर्ते वह निश्चित, युक्तिसंगत और लोकनीति के विरुद्ध न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने **Thakur Gokal Chand v. Parvin Kumari** में स्पष्ट किया कि सामान्य विधि के प्रतिकूल प्रथा को कठोर प्रमाण द्वारा सिद्ध करना आवश्यक है।
संवैधानिक व्यवस्था के पश्चात प्रथा की वैधता मौलिक अधिकारों के अधीन हो गई। यदि कोई प्रथा समानता, गरिमा या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध पाई जाती है, तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में प्रथा एक मान्य विधिक स्रोत तो है, परंतु वह संविधान और विधानों के अधीन नियंत्रित रूप में कार्य करती है।
इस प्रकार प्रथागत विधि ने सामाजिक व्यवहार से प्रारंभ होकर न्यायिक मान्यता, औपनिवेशिक स्वीकृति और अंततः संवैधानिक नियंत्रण के अंतर्गत अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त की है। यह भारतीय विधि में परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है।

3. हिंदू कानून के स्रोत को इंगित करें। मिताक्षरा और दायभागा विद्यालयों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके संहिताकरण के बाद हिंदू कानून के विभिन्न विद्यालयों के महत्व को रेखांकित करें।
Point out the source of Hindu law. Distinguish between Mitakshara and Dayabhaga schools. Underline the importance of various schools of Hindu law after its codification.

[BJS 2017]

Or

हिन्दू विधि के स्रोतों की चर्चा कीजिए। मिताक्षरा और दायभाग विद्यालयों के बीच तीन मुख्य अंतरों को रेखांकित करें।
Discuss the sources of Hindu Law. Outline the three main differences between Mitakshara and Dayabhaga schools.

[BJS 2011]

Ans. हिन्दू विधि के स्रोतों को सामान्यतः प्राचीन और आधुनिक स्रोतों में विभाजित किया जाता है।

(1) प्राचीन स्रोत

1. **श्रुति (वेद)** – हिन्दू विधि का मूल एवं सर्वोच्च स्रोत माने जाते हैं।
2. **स्मृति** – मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, जिनमें आचार, उत्तराधिकार, विवाह, दत्तक आदि के नियम दिए गए।
3. **टीकाएँ एवं निगमन (Commentaries and Digests)** – इन्होंने स्मृतियों की व्याख्या की और विभिन्न विधि-विद्यालयों को जन्म दिया।
4. **प्रथा (Custom)** – यदि कोई प्रथा प्राचीन, निश्चित और युक्तिसंगत सिद्ध हो जाए तो वह शास्त्रीय नियमों पर भी प्रभावी हो सकती है।
   प्रिवी काउंसिल ने **Collector of Madura v. Moottoo Ramalinga Sethupathi** में स्पष्ट किया कि सिद्ध प्रथा लिखित शास्त्रीय विधि पर भी प्रधानता रख सकती है।

(2) आधुनिक स्रोत

1. न्यायिक निर्णय
2. विधायन (संहिताबद्ध अधिनियम)
3. न्याय, समता और सद्भाव (Equity, Justice and Good Conscience)

Sample Preview

मुस्लिम विधि (Muslim Law)

Previous Years' Questions of Mains Examinations

Consept of Muslim Law

1. मुस्लिम कानून में मेहर क्या है और इसके विभिन्न रूप क्या हैं? मुस्लिम विधवा के दहेज के दावे के बदले पति की संपत्ति को अपने पास रखने के अधिकार की व्याख्या करते हुए उपरोक्त पर चर्चा करें।
What is dower (Meher) in Muslim Law and what are its various forms? Discuss the above explaining the Muslim widow's right of retention of husband's estate in lieu of her dower claim.

[HJS 1988, Punj JS 1995, JIS 2017, UP PCS(J) 2018, BJS 2018]

Or

'दहेज के मुस्लिम कानून को संक्षेप में बताएं'। यह भरणपोषण के हिंदू कानून से कितनी दूर है?
एक पति अपनी पत्नी को अगले वर्ष की फसल को मेहर के रूप में देने के लिए सहमत होता है। पत्नी उसी की वसूली के लिए मुकदमा दायर करती है। सूट का फैसला करें।
'State briefly the Muslim Law of Dower'. How far does it differ from the Hindu Law of Maintenance?
A husband agrees to give his wife as Dower next years crops. The Wife files a suit to recover the same. Decide the suit.

[BJS 1977]

Or

क्या एक पति अपनी पत्नी पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए सफलतापूर्वक मुकदमा कर सकता है जब उसने शीघ्र मेहर का भुगतान नहीं किया है? क्या इससे आपके जवाब में कोई फर्क पड़ेगा कि उसने अपने पति द्वारा इस तरह के मुकदमे से पहले अपनी स्वतंत्र सहमति से कहाँ संभोग किया था? बिंदु पर प्रमुख निर्णयों का संदर्भ लें।
Whether a husband can successfully sue his wife for restitution of conjugal rights when he has not paid the prompt Dower? Will it make any difference in you answer where she had the sexual intercourse with her free consent before such suit by her husband? Refer to leading decisions on the point.

[JPSC 2001, BJS 1987]

Or

दहेज धन या अन्य संपत्ति का योग है, जिसे पत्नी विवाह के प्रतिफल में पति से प्राप्त करने की हकदार है। पूरी तरह से चर्चा करें और इंगित करें कि कैसे और किन परिस्थितियों में पत्नी अपने मेहर को पूरा या उसका हिस्सा दे सकती है।
Dower is the sum of money or other property, which the wife is entitled to receive from the husband in consider- ation of the marriage. Discuss fully and point out how and under what conditions the wife can remit the whole or part of her dower.

[BJS 1978]

Or

(A) मुस्लिम विवाह के संबंध में 'मेहर' क्या है, समझाएं। क्या इसका भुगतान पूरी तरह या आंशिक रूप से आस्थगित किया जा सकता है?
Explain what is 'Mehr' in relation to a Muslim marriage. Can its payment be deferred either wholly or in part?
(B) क्या 'मेहर' को ऋण के रूप में कहा जा सकता है और इस प्रकार पति की संपत्ति पर शुल्क लगाया जा सकता है?
Whether 'Mehr' can be termed as debt and thus a charge on the property of the husband?
(C) क्या 'मेहर' की अदायगी माफ की जा सकती है, यदि हां, तो किसके द्वारा?
Can the payment of the 'Mehr' be excused, if so, by whom?

Or

निम्नलिखित के बीच अंतर करें: Draw distinction between the following:
स्त्रीधन और दहेज। Stridhan and dower.

[HJS 2009]

Or

निर्दिष्ट दहेज/मेहर" का क्या अर्थ है?
"दहेज/मेहर" एक मुस्लिम पत्नी का अमूल्य अधिकार है। टिप्पणी। "दहेज/मेहर" के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
What is meant by "specified dower"?
"Dower" is an invaluable right of a Muslim wife. Comment. What are different types of "dower"?

[DJS 2005]

Or

(a) मेहर क्या है? मेहर के प्रकार बताइए। / What is dower? Specify the kinds of dower.
(b) मेहर का दावा कैसे पूरा किया जा सकता है? / How can a claim for dower be satisfied?

[DJS 2015]

Or

उचित मेहर, तात्कालिक मेहर और आस्थगित मेहर को परिभाषित कीजिए। मेहर के अधिकार की प्रकृति की विवेचना कीजिए और समझाइए जब कि विधवा मेहर के बदले अपने पति की सम्पत्ति पर अधिकार रख सकती है।
Define proper dower, prompt dower and deferred dower. Discuss the nature of the right of dower and explain when a widow can retain possession of her husband's property in lieu of dower.

[UP PCS(J) 1985]

Or

प्रांप्ट और आस्थगित दहेज पर टिप्पणी लिखिए।
Write note on prompt and deferred dower.

[UP PCS(J) 1992]

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - III

Interview Questions Solved

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

हिंदू विधि (Hindu Laws)

1. हिंदू विधि में कितने अधिनियम हैं?

Ans. सर, चार अधिनियम:
(1) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
(2) हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
(3) हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
(4) हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956।

2. भारत में एक हिंदू की शादी होती है। कुछ सालों बाद वह अमेरिका चला जाता है और वहीं शादी भी कर लेता है। क्या वह द्विविवाह का दोषी होगा?

Ans. हां सर, हिंदू विधि कोई0 विधि नहीं है। (हिंदू विधि एक लेक्स लोकी नहीं है)। यह स्वीय विधि है। जिस देश में हिंदू जाएगा, वह हिंदू विधि द्वारा शासित होगा।

3. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या संशोधन किया गया है?

Ans.
1. सहदायिकी संपत्ति में पुत्र और पुत्रीयों को समान अधिकार दिया गया है। [धारा 4 (ii)]
2. पुत्र और पुत्रीयों को संपत्ति में जन्म से सहदायिकी का अधिकार दिया गया है। [धारा 6]
3. पुत्रीयाँ चाहे विवाहित हों या अविवाहित उन्हें भी मृतक की संपत्ति में बेटे की तरह हिस्से का और रहने का भी अधिकार मिला । [धारा 23]
4. यदि पुत्र की विधवा, पुत्र के पुत्र की विधवा, भाई की विधवा (SW, SSW, BW) भले ही पुनर्विवाहित हो, वे उत्तराधिकार में संपत्ति लेने के हकदार हैं। [धारा 24]
5. महिलाएं पैतृक संपत्ति और संयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से की वसीयत कर सकती हैं। [धारा 30]

4. शून्य विवाह क्या है?

Ans. धारा 5 उपधारा 1, 4 एवं 5 की शर्तों के उल्लंघन में विवाह शून्य विवाह है।

5. शून्य विवाह की शर्तें क्या हैं?

Ans. (1) विवाह का कोई एक पक्ष विवाहित हैं।
(2) पक्ष एक दूसरे के सपिंडा हैं।
(3) पक्ष निषेधात्मक डिग्री के अंतर्गत आते हैं।

6. क्या अवयस्क का विवाह शून्य या शून्यकरणीय है?

Ans. सर, अवयस्क का विवाह न तो शून्य है और न ही शून्यकरणीय है। अवयस्क का विवाह दंडनीय है। (वैध लेकिन दंडनीय)

7. एक शून्यकरणीय विवाह क्या है?

Ans. एक शून्यकरणीय विवाह वह विवाह है जो विवाह के पक्षकारों में से किसी एक के विकल्प पर शून्यकरणीय है। विवाह निम्नलिखित आधारों पर शून्यकरणीय है-
(1) नपुंसकता
(2) प्रतिवादी की मन की अस्वस्थता।
(3) बल या कपट द्वारा प्राप्त सहमति
(4) प्रतिवादी की गर्भावस्था।

8. शून्य और शून्यकरणीय विवाह में क्या अंतर है?

Ans. एक शून्य विवाह शुरू से ही बातिल और शून्य होता है, जबकि शून्यकरणीय विवाह को सभी उद्देश्यों के लिए तब तक वैध माना जाता है जब तक कि परिवार न्यायालय द्वारा शून्यता की डिक्री पारित नहीं की जाती है।

9. प्रकल्पित मृत्यु क्या है?

Ans. यदि विवाह का कोई पक्षकार 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक लापता रहता है तो यह मान लिया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और यह तलाक की डिक्री प्राप्त करने का एक आधार है।

10. क्या शून्य विवाह की सन्तान धर्मज है ?

Ans. हां सर, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत।

11. क्या अधिनियम के तहत अंतर्जातीय विवाह वैध है?

Ans. हाँ सर, (धारा 29)।

12. क्या पति भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकता है?

Ans. हाँ सर, (धारा 24, 25)

13. क्या कोर्ट मैरिज की जा सकती है?

Ans. हाँ सर

14. किसके सामने कोर्ट मैरिज की जा सकती है?

Ans. विवाह रजिस्ट्रार के सामने ।

15. क्या कोर्ट मैरिज के लिए कोई अधिनियम है?

Ans. हाँ सर, विशेष विवाह अधिनियम, 1955।

16. विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पूरा होने पर, विवाह के पक्षों के बच्चों का उत्तराधिकार किस अधिनियम के तहत शासित होता है?

Ans. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत।

17. फैक्टम वैलेट के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?

Ans. इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी अनियमित रूप से सम्पन्न विवाह हिन्दू धर्मशास्त्रों के निर्देशों के विपरीत होते हुए भी मान्य माना जाता है।

18. क्या दूसरी पत्नी भरण-पोषण की मांग कर सकती है?

Ans. जी सर!

19. भूत संबंधी का सिद्धांत क्या है?

Ans. माना जाता है कि विधवा द्वारा गोद लिया गया पुत्र उसके पति की मृत्यु के बाद से गोद लिया हुआ माना जाता है।

20. क्या कोई अविवाहित व्यक्ति पुत्र या पुत्री को गोद ले सकता है?

Ans. जी सर, दोनों की उम्र में 21 साल का अंतर होना चाहिए।

21. पति गोद लेना चाहता है लेकिन पत्नी विरोध करती है। क्या एक पुत्र या पुत्री को गोद लिया जा सकता है?

Ans. सर नहीं, पत्नी की सहमति के बिना पति गोद नहीं ले सकता।

22. सिविल मृत्यु के बारे में बताएं?

Ans. यदि कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ चुका है या यति या सन्यासी बन गया है, तो ऐसा व्यक्ति सिविल मृत्यु को प्राप्त हुआ कहा जाता है।

23. वसीयती संरक्षक किसे कहते हैं?

Ans. वसीयत द्वारा अवयस्क के नैसर्गिक संरक्षक द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक को वसीयती संरक्षक कहा जाता है।

24. कौन सी अयोग्यता व्यवस्थापन की संपत्ति को उत्तराधिकार के लिए अपात्र बनाती है?

Ans. (1) वह व्यक्ति जो निर्वसीयत को मारता है या उसे मारने में दुरूपयोग करता है। (धारा 25)
(2) उत्तराधिकारियों का वंशज धर्मान्तरित होता है। (धारा 26)।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Linking Paperathon Booklets

Unique Features of Paperathon Booklet

- Subject-wise presentation with weightage analysis table
- Covered Last Previous Years Papers
- Linked Provision
- Diglot Q&A (English + Hindi)
- Explanation (English + Hindi)
- QR Code for Paper Solution Free Videos
- QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams

Linking Charts

Scan this QR Code
Place Order

Linking Bare Acts

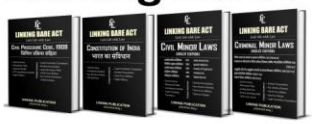

-:Note:-

Sample Preview